वाणिज्य अ.ज.– 666

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2017–18/प्रे 257 दि: 2/5/17

आदेश

विषयः– लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध में।

लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण हेतु स्थायी आदेश संख्या 16/11ए दिनांक 25.10.2016 के द्वारा वी.सी.आर. भरने एवं उनके अन्तिम निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त विषय में तीनों डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई एवं दिनांक 31.03.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध में एक योजना लागू करने के निर्णय लिया है। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैः–

1. दिनांक 31.03.2016 तक की समस्त लम्बित वी.सी.आर. की सूचना संकलित करके दिनांक 30.09.2017 तक यथा संभव, उनका निस्तारण किया जावेगा।
2. परि. व संधारण शाखा से सम्बन्धित लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों की सूचना संकलित करने के लिये वृत्त के प्रावैधिक सहायक जिम्मेदार होगें। वे अपने वृत्त की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेंगें। सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ओ.एण्डवी.) अपने खण्ड से सम्बन्धित लम्बित वी.सी.आर. की सूचना वृत्त के प्रावैधिक सहायक को उपलब्ध करायेंगें एवं अधिशाषी अभियन्ता (ओ.एण्डवी.) लम्बित वी.सी.आर. के निस्तारण के लिए पूर्णत जिम्मेदार होगें।
3. वृत्त के ए.टी.वी.एस.– नोडल ऑफिसर वृत्त में सतर्कता शाखा की लम्बित वी.सी.आर. की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेंगें एवं उनका राजस्व निर्धारण स्वयं/ सम्बन्धित एटीवीएस अधिकारी से करवाकर, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) को उपलब्ध करायेंगें। सतर्कता शाखा से सम्बन्धित लम्बित जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये जिले के ए.टी.वी.एस. – नोडल ऑफिसर जिम्मेदार होगें।
4. विद्युत चोरी से सम्बन्धित सतर्कता जांच प्रतिवेदन जिनकी एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है, उनका निस्तारण सम्बन्धित थानाधिकारी दिनांक 31.08.2017 तक सुनिश्चित करेंगें।

5. दिनांक 31.03.2016 तक के विद्युत चोरी, दुरूपयोग एवं त्रुटिपूर्ण मीटर से सम्बन्धित लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (**सतर्कता शाखा से सम्बन्धित**) के मामलों में राजस्व निर्धारण वर्तमान में पदस्थापित ए.टी.वी.एस. अधिकारी दिनांक 20.06.2017 तक करके सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें। इसी प्रकार **प.व.स. शाखा** के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के मामलों में राजस्व निर्धारण प.व.स. शाखा के वर्तमान में पदस्थापित सहायक अभियन्ता द्वारा किया जावेगा। सहायक अभियन्ता (प.व.स.) दोनो शाखाओं (सतर्कता एवं प.व.स.) की लम्बित वी.सी.आर. का राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को दिनांक 30.06.2017 तक देना सुनिश्चित करेंगें।

6. व ाद के निस्तारण हेतु कमेटी का गठनः–

दिनांक 31.03.2016 तक की विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता), दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर से सम्बन्धित वी.सी.आर. जिनका राजस्व निर्धारण करके दिनांक 30.06.2017 तक नोटिस दिये गये है अथवा पूर्व में दिनांक 31.03.2016 तक की वी.सी.आर. जिनका राजस्व निर्धारण हो चुका है, परन्तु वसूली अभी तक नही हुई है, से असन्तुष्ट उपभोक्ताओं / गैर उपभोक्ताओं के वाद के निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) की अध्यक्षता में योजना अवधि (दिनांक 30.09.2017 तक) के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार होगें।

1.	अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त)	:	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ओ. एण्ड वी.)	:	सदस्य
3.	वृत्त लेखाधिकारी	:	सदस्य
4.	सतर्कता / ऑडिट / मीटर शाखा से सम्बन्धित अधिकारी (यदि राजस्व निर्धारण / जांच उनके द्वारा की गई है)	:	सदस्य

विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता), दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर के जांच प्रतिवेदन के सम्बन्धित राजस्व निर्धारण से असंतुष्ट उपभोक्ता / व्यक्ति उपरोक्त कमेटी के समक्ष दिनांक 31.08.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हे।

उक्त सभी प्रकार के प्रकरणों तथा उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता के चोरी के मामले, विद्युत दुरूपयोग के मामलें एवं त्रुटिपूर्ण मीटर के मामलों का राजस्व निर्धारण निरीक्षण तिथि पर प्रचलित नियमानुसार ही किया जावेगा। उपरोक्त कमेटी प्रकरण के निस्तारण में साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस योजना के अन्तर्गत गठित कमेटी एक माह में यथासम्भव वाद का निस्तारण सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त समिति दिनांक 30.09.2017 तक ही प्रभावी रहेगी।

यदि नोटिस अवधि में विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता / गैर उपभोक्ता राजस्व निर्धारण राशि जमा नही कराते है अथवा वी.सी.आर. निस्तारण समिति के समक्ष